न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी–श्री शंकरलाल सालवी, आर.ए.एस.

——

प्रकरण संख्या–264/2017 प्रा0प0 दिनांक 04–10–2019

उनवान

1. अब्दुल मजीद पिता अब्दुल शकूर कुरैशी मुसलमान वयस्क निवासी भाटो का मिन्नाणा तहसील भदेसर

...............प्रार्थी

।। बनाम ।।

1. मांगीबाई बेवा नारायण भील वयस्क निवासी भाटो का मिन्नाणा तहसील भदेसर
2. श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ

.... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित– 1.श्री नरेन्द्रसिहं पंवार वकील प्रार्थी

सारांश प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी के आधिपत्य एवं खातेदारी की कृषि आराजीयात ग्राम मिन्नाणा पटवार हल्का गरदाना तहसील भदेसर में स्थित है जिसके साबिक खाता संख्या 54 में अंकित आराजी नम्बर 381/2, 381/3, 381/4, 381/5, 381/6, 383/1, 383/2,कुल किता–7 कुल रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा भूमि दर्ज रिकार्ड चली आ रही थी वर्तमान में सेटमेन्ट होने से नई खाता संख्या 53 में अंकित आराजी नम्बर 411, 412, 414, 415, 416, 417, कुल किता 6 कुल रकबा 2.34 हैक्टैयर दर्ज रेकार्ड है । साक्ष्य में नकल जमाबन्दी आधार वर्ष नये व पुराने नक्शा ट्रेस व मिलान क्षेत्र संलग्न किये गये है । प्रार्थी ने दिनांक 02.09.2002 को न्यायालय के आदेश से आराजी नम्बर 381/4 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से 1/2 हक हिस्सा खातेदार काना उर्फ

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

कन्हैयालाल से निलामी में कय की जिसके हाल आराजी नम्बर 417 रकबा 0.81 हैक्टैयर बने इस प्रकार प्रार्थी अपने द्वारा खरीद की गई आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है और इस दौरान उक्त भूमि के खातेदारा काना उर्फ कन्हैयालाल का स्वर्गवास हो गया था बाद में दौराने सेटलमेन्ट उक्त आराजीयात को राजस्व कम्रचारियों ने पुनः खातेदार काना उर्फ कन्हैयालाल के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दी जबकि प्रार्थी खरीद दिनांक से ही आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है इसलिए राजस्व रेकार्ड से काना उर्फ कन्हैयालाल का नाम विलोपित कि जाकर आराजीयात प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो स्वीकार फरमाया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया तथा प्रार्थना पत्र के संदर्भ में विपक्षी तहसीलदार भदेसर से राजस्व रेकार्ड एवं मौके की वस्तुस्थिति के आधार पर कमीशनरी रिपोर्ट के साथ जवाब तलब किया गया ।

बरोज पेशी विपक्षी संख्या 01 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहें न ही प्रार्थना पत्र के खण्डन में जवाब प्रस्तुत किया गया ।

विपक्षी संख्या 02 की ओर से राजस्व रेकार्ड एवं मौके की स्थिति अनुसार कमीशनरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि :–

1. हाल आराजी नम्बर 417 रकबा 0.81 हैक्टैयर वर्तमान में प्यारा पिता हीरा , सौरा गंगाराम पिता सुख्या 3/8 हि0ब0 भेरा पिता चन्द्रा 1/8 ना0बा0व.लि. गंगाराम काका खुद मांगी बेवा नारायण काना पिता उदा 1/2 भील सा0देह खातेदार रहन चि0स0भू0वि0 बैंक लि0 चित्तौडगढ हिस्सा नारायण मांगू दर्ज दर्ज रेकार्ड हे जबकि उक्त आराजी साबिक नम्बर 381/4 रकबा 3–02 बीघा ना0क0 संख्या 56 दिनांक 17.08.04 से डिकी से अब्दुल मजीद पिता अब्दुल शकूर कुरैशी 1/2 प्यारा पिता हीरा सोरा गंगाराम पि0 सुखा 3/16 हि.ब. भेरा पिता चूना 1/16 ना0बा0ब लि गंगाराम काका खुद मांगी बेवा नारायण मांगू पि0 उदा 1/4 हि0 ब0 भील सा0देह रहन बदस्तूर दर्ज रेकार्ड था भू प्रबन्ध के दौरान नवीन रेकार्ड में अब्दुल मजीद पिता अब्दुल

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

शकूर का हिस्सा 1/2 खाते से हटा दिया जबकि खाता अब्दुल मजीद पिता अब्दुल शकूर 1/2 मुसलमान , प्यारा पि0 हीरा सोराम गंगाराम पि0 सुखा 3/16 हि0ब0 भेरा पि0 चूना 1/16 ना0बा0व0ल0 गंगाराम काका खुद मांगी बेवा नारायण मांगू पि0 उदा 1/4 हि0ब0 भील सा0देह रहन बदस्तूर दर्ज होना चाहिये था प्रार्थी आराजी नम्बर 417 के 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहा है ।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार भदेसर के जांच प्रतिवेदन एवं नकल जमाबन्दी मौजा मिन्नाणा की खाता संख्या 54 में वर्णित आराजीयात में साबिक आराजी नम्बर 381 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा भूमि के तत्कालीन खातेदार कना पिता उदा 1/2 हि0ब0 के स्थान पर प्रार्थी अब्दुल मजीद पिता अब्दुल शकूर निलामी में न्यायालय आदेश से ना0क0 संख्या 377 दिनांक 17.08.2004 से के आधार पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो चुकी थी किन्तु भूमि प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन जमाबन्दी में प्रार्थी अब्दुल मजीद पिता अब्दुल शकूर का नाम विलोपित करते हुए पूर्व खातेदार कना पिता उदा का नाम पुनः दर्ज कर दिया जाने की त्रुटि की गई है जो दुरूस्ती योग्य है मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट होता है कि आ0न0 381/4 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर 417 रकबा 0.81 हैक्टैयर कायम हुए है । उक्त प्रकार से राजस्व रेकार्ड में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज हो जाने से राजस्व रेकार्ड की वर्तमान स्थिति उत्पन्न होकर प्रार्थी बिना किसी कारण के अपने हक अधिकार से वंचित हो गया है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना 136 भू0रा0अधि0 स्वीकार किया जाता है वर्तमान राजस्व रेकार्ड मौजा मिन्नाणा की खाता संख्या 53 में अंकित आराजी नम्बर 411, 412, 414, 415, 416, 417, कुल किता 6 कुल रकबा 2. 34 हैक्टैयर में से **आराजी नम्बर 417 रकबा 0.81 हैक्टेयर** की वर्तमान खातेदारान् की प्रविष्ठि प्यारा पिता हीरा , सौराम गंगाराम पिता सुख्या 3/8 हि0ब0 भेरा पिता चन्द्रा 1/8 ना0बा0व.लि. गंगाराम काका खुद मांगी बेवा नारायण काना पिता उदा 1/2 भील सा0देह खातेदार रहन चि0स0भू0वि0 बैंक लि0 चित्तौडगढ हिस्सा नारायण

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौडगढ

Scanned by CamScanner

मांगू में से **काना पिता उदा 1/2** का नाम विलोपित करते हुए उसके स्थान पर **अब्दुल मजीद पिता अब्दुल शकूर** शुद्वि से अंकन करने का आदेश दिया जाता है जिससे उक्त आराजी नम्बर 417 के राजस्व रेकार्ड में वर्तमान् प्रविष्ठि इस प्रकार होगी **अब्दुल मजीद पिता अब्दुल शकूर 1/2 मुसलमान , प्यारा पि0 हीरा सोराम गंगाराम पि0 सुखा 3/16 हि0ब0 भेरा पि0 चूना 1/16 ना0बा0व0ल0 गंगाराम काका खुद मांगी बेवा नारायण मांगू पि0 उदा 1/4 हि0ब0 भील सा0देह रहन बदस्तूर ।** निर्णय की प्रति तहसीलदार भदेसर को राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद हेतु भेजी जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(शंकरलाल सालवी)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Scanned by CamScanner